न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास

पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 76/2022

मगनी देवी पत्नी तुलसीराम, जाति मीना, निवासी राधेकी, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, प्रार्थीया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136

भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक 21.3.2025

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया मगनी देवी द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम गोठ, तहसील बामनवास में स्थित खाता नम्बर 295 की भूमि खसरा नम्बर 713 रकवा 3.31 हेक्टेयर उसकी व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का 24/49 हिस्सा है, जिसे राजस्व कर्मचारियों ने कम करके गलत रूप से प्रार्थीया का 3/8 हिस्सा दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार अन्य खातेदार श्रीकिशन पुत्र रामसहाय का हिस्सा 4/49, प्रेमराज पुत्र रामसहाय का हिस्सा 4/49, मनोहर पुत्र रामसहाय का हिस्सा 4/49, श्याम लाल पुत्र रामसहाय का 4/49, रामौती पत्नी रामसहाय का 4/49, हरिप्रसाद

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

पुत्र फूलचंद का 5/49 हिस्सा भी राजस्व कर्मचारियों ने गलत दर्ज कर दिए हैं, जिसके कारण पक्षकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आगे कथन किया गया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा हाल ही में संपादित की गई सैटलमेंट की कार्यवाही के तहत सभी खातेदारों के हिस्से गलत प्रकार से दर्ज किए गए हैं, क्योंकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए हिस्सों के हिसाब से संपूर्ण भूमि के संपूर्ण रकबे 3.31 हेक्टेयर में से प्रार्थीया का 3/8 हिस्सा दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थीया का रकबा 1.24125 हेक्टेयर होता, अर्थात प्रार्थीया की भूमि करीब 5 बीघे होती है, जबकि प्रार्थीया द्वारा हरिप्रसाद पुत्र फूलचंद से 6 बीघा जमीन क्रय की गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा हरिप्रसाद पुत्र फूलचंद का 5/10 हिस्सा दर्ज किया गया है। जबकि भूमि में हरिप्रसाद का 5/16 हिस्सा शेष न रहकर केवल 5/49 हिस्सा ही शेष रहा है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने हरिप्रसाद का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है, जिसका संशोधन होना आवश्यक है। पूर्व की भांति वह अपने हिस्से पर काबिज है, परन्तु अचानक वर्तमान रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राज के आधार पर भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद होने लगा है, जिस पर प्रार्थीया दिनांक 8.9.2022 को पटवारी हल्का से मिली तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि प्रार्थीया के रिकॉर्ड में सैटलमेंट के दौरान पृथक पृथक हिस्से दर्ज कर दिए गए है,

उपखंड अधिकारी
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

जिसके कारण भूमि कम या अधिक हो गई है, जिसके लिए एस.डी. ओ. कोर्ट में जाकर मुकदमा करना पड़ेगा, तभी हिस्सों की दुरुस्ती हो सकेगी । प्रार्थीया द्वारा दिनांक 8.9.2022 को जमाबंदी की नकल ली गई, तब जाकर रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों बाबत उसको जानकारी हुई, पुन: जमाबंदी को लेकर वह पटवारी हल्का से मिली, तब जाकर पटवारी हल्का ने गलत हिस्से दर्ज होने वाली बात बताई, जिसके लिए न्यायालय में जाकर कार्यवाही करने बाबत बताया गया, प्रार्थीया ने एस.डी.ओ. बामनवास के यहां सैंमीनेशन के दौरान 136 में हुए प्रकरण की नकल ली, जिसके अवलोकन से प्रार्थीया को जानकारी में आया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत आदेश के आधार पर प्रार्थीया का हिस्सा दर्ज कर दिया गया है, जिस बाबत संशोधन होना आवश्यक है, विवादित भूमि में प्रार्थीया का 24/49 हिस्सा है, इसलिए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया के 3/8 हिस्से के स्थान पर 24/49 हिस्सा दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे । अंत में प्रार्थना की गई है कि खाता संख्या 295 की भूमि खसरा नम्बर 713 रकबा 3.31 हेक्टेयर ग्राम गोठ, तहसील बामनवास में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज पक्षकारों के हिस्से दर्ज किए जाकर उसके स्थान पर भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा 24/49, सहखातेदार प्रेमराज पुत्र रामसहाय का हिस्सा 4/49, मनोहर लाल पुत्र रामसहाय का

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner

हिस्सा 4/49, रामौती पत्नी स्व. रामसहाय का हिस्सा 4/49, श्याम लाल पुत्र रामसहाय का हिस्सा 4/49, श्रीकिशन पुत्र रामसहाय का हिस्सा 4/49, व हरिप्रसाद पुत्र फूलचंद का हिस्सा 5/49 दर्ज किए जाने व उचित संशोधन के लिए विपक्षी को निर्देश दिए जावें । प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया छाया देवी द्वारा अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया, विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के मद संख्या 3 के वर्णनानुसार ही खातेदारों के हिस्से बनते हैं तथा अपने जवाब में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्रार्थीया का हिस्सा गलत दर्ज हुआ है तथा प्रार्थीया के हिस्से में भूमि कम दर्ज हुई है । इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा दस्तावेजों की प्रतियॉ भी पेश की गई हैं ।

बहस पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 713 रकबा 3.31 हेक्टेयर में से हरिप्रसाद के हिस्से की भूमि में से 6 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की गई है, जिसका नामान्तकरण भी प्रार्थीया के नाम खुल चुका है । इस

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (स०मा०)

Scanned with CamScanner

अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीया 6 बीघा, यानि 1.50 हेक्टेयर भूमि की सहखातेदार काश्तकार है । वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीया का जो हिस्सा 3/8 दर्ज किया है, वह गलत दर्ज हुआ है । इस तथ्य को अप्रार्थी भी अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब में स्वीकार करता है । ऐसे में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं रह जाता है तथा तहसीलदार, बामनवास द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के हिस्से दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

अतः प्रार्थीया मगनी देवी पत्नी तुलसीराम, जाति मीना, निवासी **राधेकी, तहसील** बामनवास, जिला सवाई माधोपुर का प्रार्थना पत्र **स्वीकार किया** जाकर अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि वह **वर्तमान राजस्व** रिकॉर्ड जमाबंदी, ग्राम गोठ के खसरा नम्बर 713 रकबा 3.31 हेक्टेयर में वर्णित वर्तमान इन्द्राजात् को निरस्त कर **खातेदार मगनी** देवी पत्नी तुलसीराम का हिस्सा 150/331, प्रेमराज पुत्र रामसहाय का हिस्सा 27/331, मनोहर लाल पुत्र रामसहाय का हिस्सा 27/331, श्याम लाल पुत्र रामसहाय का हिस्सा 27/331,

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

श्री किशन पुत्र रामसहाय का हिस्सा 27/331, रामौती पत्नी स्व. रामसहाय का हिस्सा 27/331 एवं हरिप्रसाद पुत्र फूलचंद का हिस्सा 46/331 दर्ज किया जावे । तहसीलदार, बामनवास को इस आदेश की एक प्रति पालनार्थ पठाई जावे ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
बृजेन्द्र मीना
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 21.3.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)
बृजेन्द्र मीना
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner